न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बेगूँ जिला चित्तौडगढ़ (राज0)

पीठसीन अधिकारी श्री कैलाश चन्द्र गुर्जर

अपील संख्या ::– 1/2023

सोहनीबाई पिता नारू जी जाति रेगर निवासी हमेपुर तहसील बेगूँ हाल पत्नी भागीरथ रेगर निवासी नगरी तहसील एवं जिला चित्तौडगढ़ — अपीलान्ट

बनाम

श्रीमान तहसीलदार साहब तहसील कार्यालय बेगूँ जिला चित्तौडगढ़ राज0

रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थित ::– श्री कैलाश चन्द्र मंत्री
अधिवक्ता अपीलान्ट

आदेश दिनांक :– 27–10–2023

आदेश अपील विरूद्ध निर्णय नामान्तरण संख्या 683 ग्राम हमेपुर प0ह0 बरनियास तह0 बेगूँ निर्णित दिनांक 07.10.2020 निर्णय ग्राम पंचायत बरनियास ।

अपीलान्ट की ओर से अपील पत्र अधिवक्ता श्री मंत्री द्वारा प्रस्तुत कर निवेदन इस प्रकार से किया कि ग्राम हमेपुर प0ह0 बरनियास के मृतक खातेदार श्रीमती नौजी पत्नी नारू जी रेगर निवासी हमेपुर के फौत हो जाने पर हल्का पटवारी ने उनकी विरासत का नामान्तरण, संख्या 683 दर्ज कर प्रस्तावित नाम कॉलम संख्या 9 में विधि प्रावधपानो के अनुसार अपीलान्ट का मृतक खातेदार की पुत्री एवं एक मात्र वारिस होने से अंकित करते हुए कॉलम संख्या 16 मे एक मात्र पुत्री की रिपोर्ट कर दर्ज किया जिस पर भू0अ0नि0 ने अपनी टिप्पणी अंकित की एवं ग्राम पंचायत ने दिनांक 07.10.2020 को स्वीकृत कर दिया जिसका एवं इस नामान्तरण के आधार पर अपीलार्थी का नाम भी जमाबंदियां ऑनलाईन होने से सम्वत 2078 के खाता संख्या 87 में अंकित कर दिया ।

यह कि नामान्तरण संख्या 683 पर पूर्व हल्का पटवारी ने षडयंत्र पूर्वक सरपंच की सील के नीचे अपनी हस्तलिपि से सोहनीबाई नाम की कोई महिला नहीं है ग्रामीणों से पुछने पर पता चला का नामान्तरण स्वीकृत बाद अंकन कर स्वीकृत के आगे अ शब्द बढा अस्वीकृत होने का अंकन कर दिया, जिसके आधार पर वर्तमान हल्का पटवारी ने पुनः जरिये शुद्धिपत्र उक्त नामान्तरण संख्या 683 को निरस्त मानते हुए खाता मतक खातेदार नोजी पत्नी नारू (अपीलार्थी की माता) के नाम दर्ज कर दिया।

यह कि हल्का पटवारी द्वारा उक्त वर्णित नामान्तरण के कॉलम संख्या 16 में अपनी टिप्पणी में अपीलांट को मृतक खातेदार की पुत्री अंकित किया है इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा नामान्तरण संख्या 683 पर नामान्तरण अस्वीकृत [illegible] जो अंकन है वह कानून विरूद्ध होकर निरस्त योग्य है। अपीलार्थी मृतक [illegible] वारिस है एवं मृतक खातेदार नोजी पत्नी नारू रेगर की विरासत [illegible] नाम दर्ज [illegible] की अधिकारिणी है [illegible] यह माना भी जावे कि ग्राम पंचायत की ओर से नामान्तरण अस्वीकृत करने का अंकन सही है [illegible] ग्राम पंचायत द्वारा नामान्तरण अस्वीकृत करने में भूल की गई है [illegible] ग्राम पंचायत का नामान्तरण निरस्त किये जाने का निर्णय गलत होकर निरस्त योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kailash Chand Gurjar
Date: 2024.03.11 15:26:57 IST
Reason: SelfAttested

यह कि एक बार जब नामान्तरण दर्ज हो जाता है तो मृतक खातेदार की विरासत का निर्णय किया जाना होता है भूमि मृतक खातेदार के नाम नही रहती है, यदि ग्राम पंचायत को विरासत बाबत कोई अपूर्ण जानकारी थी तो जानकारी की जा सकती थी या नामान्तरण वास्ते निग्रय तहसीलदार साहब के पास भिजवाया जा सकता था। नामान्तरण अस्वीकार किया जाने का निर्णय गलत होकर निरस्त योग्य है। इस प्रकार नामान्तरण संख्या 683 की कार्यवाही अवैध एवं शुन्य कार्यवाही है निरस्त योग्य है। [illegible]

प्रावधानानुसार अवैध नामान्तरण की अपील की कोई समयावधि नहीं होती है। अपील कर्णाधिकार न्यायालय श्रीमान को प्राप्त होकर अपील पूर्ण न्यायशुल्क पर मय सम्मन प्रोसेस व नकलों के प्रस्तुत हैं।

अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर नामान्तरण संख्या 683 पर दिये गये निर्णय को निरस्त फरमा अपीलार्थी मृतक खातेदार की एक मात्र पुत्री वारिस होने से अपीलार्थी के नाम नामान्तरण किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

अपील अपीलार्थी न्यायालय में प्रस्तुत होने पर बाद जॉच दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया, रेस्पोडेन्ट तहसीलदार बेगूँ न्यायालय में उपस्थित आये तथा अपील पत्र के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 अवधि अधिनियम का जवाब प्रस्तुत नहीं कर सीधे ही बहस किये जाने का निवेदन किया गया। पत्रावली में नामान्तरण संख्या 684 पर बहस उभयपक्ष की ध्यानपूर्वक सुनी गई, अपीलान्ट के अधिवक्ता द्वारा अपील बहस अपील पत्र के अनुसार ही करते हुए नामान्तरण में दिये गये निर्णय को निरस्त करने व अपीलान्ट के नाम नामान्तरण खोले जाने का निवेदन किया है। जबकि रेस्पोडेन्ट तहसीलदार द्वारा नामान्तरण संख्या 683 पर निर्णय ग्राम पंचायत द्वारा किये जाने का कथन अपनी बहस में किया है। हमारे द्वारा उभयपक्ष की बहस को सुना जाने के पश्चात पत्रावली में प्रस्तुत नकल नामान्तरण संख्या 683 व प्रस्तुत जमाबंदियों का अवलोकन किया गया, नामान्तरण संख्या 683 जो कि विरासत से खोला गया है उक्त नामान्तरण में भैरू मु0 नारू मु0 नोजी पत्नि स्व. नारू रेगर सा. हमेपुर खातेदार के बजाय कॉलम नं0 9 में श्री भैरू मु0 नारू 1/2 सोहनीबाई पिता नारू 1/2 रेगर सा0 हमेपुर के नाम पर खोले जाने का अंकन है रिपोर्ट में अंकित है कि खातेदार नोजी पत्नि स्व. नारू रेगर फोत दिनांक 14.11.19 की कार्यवाही बेरूनमियाद है मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति चस्पा है, साथ ही पटवारी हल्का द्वारा अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है कि खातेदार नोजीबाई फौत हो चुकी है जो कि स्वयं पुत्री सोहनीबाई के नाम सजरा अंकन कर नामान्तरण दर्ज कर जॉच व स्वीकृति हेतु पेश है। साथ ही नामान्तरण पर अंकित सजरा में भी नोजीबाई के पुत्र नहीं व पुत्री सोहनीबाई का ही नाम अंकित है, उक्त नामान्तरण को अस्वीकृत किया जाता है साथ ही एक अलग से अंकन किया है कि सोहनीबाई नाम की कोई महिला नहीं है ग्रामीण से पूछने से पता चला इस अंकन पर कोई हस्ताक्षर नहीं होकर केवल तारीख 07.10.2020 अंकित की हुई है।

प्रस्तुत दस्तावेज के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उक्त नामान्तरण को पहले तो स्वीकार किया गया तथा बाद में उसमें अस्वीकार करते हुए एक अंकन इस बाबत अंकित किया कि सोहनीबाई नाम की कोई महिला नहीं है, इस प्रकार यह नामान्तरण अपने आप में एक संदेह प्रकट करता हैं। हम अधिवक्ता अपीलान्ट के कथन एवं उनके द्वारा की गई बहस से पूर्णतया सहमत है।

अतः अपील अपीलान्ट की स्वीकार की जाती है। नामान्तनरण संख्या 683 ग्राम हमेपुर प0ह0 बरनियास पर निर्णय दिनांक 07.10.2020 द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत बरनियास के निर्णय को निरस्त किया जाता है। तथा तहसीलदार बेगूँ को आदेशित किया जाता है कि वे मृतक खातेदार नौजीबाई धर्मपत्नि नारू रेगर की एक मात्र पुत्री अपीलान्ट सोहनीबाई पिता नारू जी रेगर निवासी हमेपुर हा0 पत्नि भागीरथ रेगर निवासी नगरी के सम्बन्ध में जॉच कर उनके नाम पर विरासत का नामान्तरण खोलकर नियमानुसार निर्णित करें। आदेश की प्रति तहसीलदार बेगूँ को वास्ते पालनार्थ दी जावें।

आदेश आज दिनांक 27–10–2023 को लिखया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया

Signature Not Verified

Digitally signed by Kailash Chand Gurjar
Date: 2024.03.11 15:26:57 IST
Reason: SelfAttested

(कैलाश चन्द्र गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी,
बेगूँ जिला चितौडगढ़

क्रमांक/सरिश्ता/2023/ 456 दिनांक :– 27.10.2023

अपील संख्या 1/2023 व अनवान सोहनीबाई बनाम तहसीलदार में न्यायालय के आदेश की प्रति वास्ते पालनार्थ तहसीलदार बेगूँ को दी जाती है।